

—:आदेश:-

निम्नलिखित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम व पदनाम (सुश्री/श्रीमती)	पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	रोसम्मा थोमस, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	मु.चि.एवं.स्वा. अधि. (पाली)	15.05.1964	22.05.1987	31.05.2024
2	कान्ता शर्मा, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	मु.चि.एवं.स्वा. अधि. जोधपुर।	07.04.1964	26.09.1988	30.04.2024
3	रंजना जैन, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	मु.चि.एवं.स्वा. अधि. (पाली)	14.04.1964	22.04.1989	30.04.2024
4	तारा देवी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	मु.चि.एवं.स्वा. अधि. (पाली)	01.07.1964	06.09.1990	30.06.2024
5	सुजा के.एस. महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	बीसीएमओ आडेल (जोधपुर)	28.05.1964	16.11.1992	31.05.2024
6	राम किशोर लोम्बरोड, नर्सिंग ऑफिसर	एम0 डी0 एम0 (जोधपुर)	24.07.1964	27.07.1988	31.07.2024
7	पुष्पा शर्मा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	मु.चि.एवं.स्वा. अधि.(पाली)	01.06.1964	21.09.1988	31.05.2024
8	उमा स्वामी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	मु.चि.एवं.स्वा. अधि. (पाली)	28.12.1964	08.02.1994	31.12.2024
9	मेरी ए.डी. महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	मु.चि.एवं.स्वा. अधि. पाली )	14.10.1964	03.12.1994	31.10.2024
10	रतन मकवाना, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	मु.चि.एवं.स्वा. अधि. (पाली)	5.7.1964	23.2.1993	31.7.2024
11	किरण कान्ता, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	उप स्वास्थ्य केन्द्र, गुडा बीजा सोजत (पाली)	15.3.1964	10.01.1991	31.03.2024
12	तारामति श्रीमाली, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	उप स्वास्थ्य केन्द्र, केलवाद सोजत (पाली)	01.07.1964	03.07.1998	30.06.2024

यह प्रमाणित किया जाता है कि कार्मिका के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(सुरेश नवल)

निदेशक (अराजपत्रित)

दिनांक:- 25/1/24

क्रमांक:-नर्सिंग/जोन-जोधपुर/से0नि0/एक्स-34 पार्ट-2/2024/39  
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
- संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन राजस्थान।
- संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर/पाली।
- संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी,साचोर राजस्थान।
- प्रशासनिक अधिकारी, डीपीसी/टी.सी. अनुभाग, अराजपत्रित मुख्यालय।
- सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी 395830
- प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
- आदेश/निजी पत्रावली।

Document certified by SURESH  
NAWAL <add4ng@gmail.com>.

Digitally Signed by Suresh  
Kumar N (अराजपत्रित)  
Designation: निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें